न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0) R-55-II-17

(95)

भारत COURT FEE Rs.20 TWENTY RUPEES — 5रु. Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — 5रु. Rs.5 भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

विलोपित

...त कुमार सिंह एड... ज दि 3/1/17 को

क्लर्क ऑफ कोर्ट 17 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

8 / 3.1.17

1— हरिदास साकेत
2— बामन दास साकेत
} दोनों के पिता सुबुद्धलाल साकेत

3— शिवप्रसाद साकेत
4— गोविन्द साकेत
5— मंधारी साकेत
} तीनों के पिता बुद्धसेन साकेत

6— शंखलाल बसोर पिता बूचड़ बसोर

7— मोतीलाल
8— सुदर्शन
9— हनुमत
} तीनों के पिता शंखलाल बसोर

सभी निवासी ग्राम सरई तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

————**निगरानीकर्तागण**

बनाम्

...ष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
...च्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर-2

1— उमेश कुमार तिवारी पिता कौशल प्रसाद तिवारी सा0 **सरई** तहसील सरई जिला सिंगरौली (म0प्र0)

2— शासन म0प्र0

————**गैरनिगरानीकर्तागण / अनावेदकगण**

शारदा प्रजापति (रा.अ.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील सरई जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण कमांक 24—अ / 12 / 2012—13
आदेश दिनांक 13 / 6 / 2013

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 ई0

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-55-दो/2017 जिला सिंगरौली हरिदास विरूद्ध उमेश व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक सरई के प्रकरण क्रमांक 24/अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 13-06-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी सरई को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 03-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी सरई के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 06.3.2019 सदस्य	